

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 139 | नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 1973/ज्येष्ठ 22, 1895

No. 139 | NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 1973/JYAISTHA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th June 1973

SUBJECT:—Extension of time limit for fulfilment of counter-export obligation under
Indo-Afghan Trade Arrangement 1972-73.

No. 93-ITC(PN)/73.—Attention of the trade is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 37-ITC(PN)/73, dated the 17th March, 1973, in terms of which the licensees were required to export to Afghanistan the goods listed in Schedules B-I and B-II to the erstwhile Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated 30-6-1972, equivalent to the value of their imports, by the 31st May, 1973.

2. On a review of the position and in partial modification of Public Notice No. 37-ITC(PN)/73, dated 17-3-1973, it has been decided to extend the last date for fulfilment of the counter-export obligation in the required proportion from 31st May 1973 to 31st August 1973. The extension has been granted for the limited purpose of fulfilment of counter-export obligation, against imports already effected from Afghanistan upto 28th February, 1973; and cannot be utilised for entering into fresh import commitments.

3. Exporters/Importers are cautioned that no further extension of the time limit will be allowed under any circumstances; and failure to fulfil the counter-export obligation in the required proportion, by the crucial date i.e. 31st August, 1973, will render them liable to penal action under the Imports and Exports Trade Control/Foreign Exchange orders, rules and regulations.

बाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 जून, 1973

विषय.—भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था, 1972-73 के अन्तर्गत प्रति-निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए समय सीमा में वृद्धि।

संस्था 93-आई० टी सी० (पीएन)/73.—व्यापारियों का ध्यान बाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 37-आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 17 मार्च, 1973 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार लाइसेंसधारी के लिए अपने आयातों के मूल्य के बराबर, भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 93-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 30-6-1972 के लिए अनुसूची बी-1 तथा बी-2 में सूचीबद्ध माल का अफगानिस्तान को 31 मई, 1973 तक निर्यात करना आवश्यक था।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर और सार्वजनिक सूचना संख्या : 37-आई टीसी (पीएन) 73, दिनांक 17-3-1973 में आंशिक आशोधन करने पर प्रतिनिर्यात दायित्व को अपेक्षित अनुपात में पूरा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मई, 1973 से 31 अगस्त, 1973 तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है। यह वृद्धि 28 फरवरी, 1973 तक अफगानिस्तान से पहले ही किए गए आयातों के प्रति प्रति-निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है और इसका उपयोग आयात की नई वचनबद्धता में प्रविष्टि के लिए नहीं किया जा सकता।

3. निर्यातकों/आयातकों को सावधान किया जाता है कि किसी भी हालत में सीमा समय में और किसी प्रकार की वृद्धि नहीं दी जाएगी और अपेक्षित अनुपात में प्रति-निर्यात दायित्व को अंतिम तिथि अर्थात् 31 अगस्त, 1973 तक पूरा करने में असफल रहने पर आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मद्रा आदेश, नियम तथा विनियम के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

SUBJECT:—*Import and export of goods from and to Afghanistan-Production of Landing Certificate.*

No. 94-ITC(PN)/73.—Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 31-ITC(PN)/73, dated 23rd February 1973, in terms of which the exporters, in respect of export of goods to Afghanistan, were required to produce a landing certificate to the concerned licensing authority in India as well as the Reserve Bank of India, issued by the Afghan Customs Authorities, by the 30th April 1973.

2. On a review of the position, and in partial modification of the aforesaid Public Notice, it has been decided to extend the last date for production of the landing certificate from the 30th April 1973, to the 31st October, 1973.

3. It has also been decided that the requisite landing certificate should be produced only in respect of the items mentioned in Schedule B-I to the erstwhile Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated the 30th June 1972.

4. Exporters/Importers are cautioned that no further extension of the time-limit will be allowed under any circumstances; and failure to produce the requisite landing certificate by the crucial date i.e. 31st October 1973, will render them liable to penal action under the Imports and Exports Trade Control/Foreign Exchange Orders, rules and regulations.

S. G. BOSE MULICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय .— माल का अफगानिस्तान से आयात और अफगानिस्तान को निर्यात-अवतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना ।

संख्या 94-आई०टी०सी०(पीएन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 31-आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 23 फरवरी, 1973, की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार अफगानिस्तान को निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में अफगानिस्तान सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गये अवतरण-प्रमाण पत्र को भारत में संबन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को साथ ही साथ भारत के रिजर्व बैंक को 30 अप्रैल, 1973 तक निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक था ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर और उक्त सार्वजनिक सूचना में आंशिक आशोधन करने पर यह निश्चय किया गया है कि अवतरण प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल, 1973 से बढ़ा कर 31 अक्टूबर, 1973 तक की जाए ।

3. इस बात का भी निश्चय किया गया है कि अपेक्षित अवतरण-प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 93 -आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 30 जून, 1972 के लिए अनुसूची बी-1 में उल्लिखित मदों के लिए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

4. निर्यातकों/आयातकों को सावधान किया जाता है कि किसी भी हालत में समय सीमा में और किसी प्रकार की वृद्धि नहीं दी जाएगी और अपेक्षित अवतरण पत्र को अन्तिम तिथि अर्थात् 31 अक्टूबर, 1973 तक प्रस्तुत करने में असफल रहने पर आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा आदेश, नियम तथा विनियम के अधीन उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

